(A3)

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –01/2020 (अपील)

जीसीएमएस नं0–2020/00119

मुकेश रघुवंशी पुत्र रमेशचन्द्र जाति राजपूत निवसी ग्राम माधोपुर पोस्ट कनवास, ग्राम पंचायत जालिमपुरा तहसील कनवास जिला कोटा एफ0पी0एस0 डीलर पोस कोड 6902 ग्राम पंचायत जालिमपुरा, तहसील कनवास कोटा

–अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी , कलेक्ट्रेट कोटा
2. जिला रसद अधिकारी, कोटा

–रेस्पोडेन्ट

अपील आदश कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा दिनांक 21.3.2018 कमांक/ रसद/ एफ0 पी0एस0 2018/332 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान फूड ग्रेन्स एण्ड अदर रासायनिक आर्टिकल रेग्यूलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 1976

निर्णय

दिनांक– 07.09.2021

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अपने आदेश कमांक/रसद/एफपीएस/2018/332 दिनांक 21.3.2018 से अपीलांट मुकेश रघुवंशी निवासी ग्राम माधोपुर पोस्ट कनवास ग्राम पंचायत जालिमपुरा तहसील कनवास कोटा, का उचित मूल्य दुकान पोस कोड 6902 ग्राम पंचायत जालिमपुरा का लाईसेंस निरस्त किया गया है ।
2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.07.2020 को पेश कर कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश में उचित मूल्य दुकान का लाइसेन्स निरस्त का आधार यह माना कि समाचार पत्र में प्रकाशित कर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु बुलाया था जबकि गांव में अखबार नहीं आता है एवं फोन से बात की जा सकती थी, डाक विभाग से पत्र भेजा जा सकता था, राजकीय व्यक्ति डाक देने आता यह आधार उचित नहीं है । अपीलान्ट नियमित समय पर दुकान खोलता है सभी रजिस्टर रिकार्ड रसीद स्टॉक रजिस्टर डेली सेल रजिस्टर सभी पूर्ण रूप से संधारित किये गये थे । सभी खाद्यान्न का ओपनिंग बैलेंस रखे, कीमत दिखने वाली जगह पर प्रदर्शित की हुई थी । निरीक्षण में भी सम्पूर्ण मदद की थी

जिला कलेक्टर
कोटा

(A4)

एवं राज्य सरकार एवं विभाग के सभी निर्देशों की पालना की गई है । दुर्भावनावश मात्र पहले दुकान आदेश दिनांक 12.4.2017 द्वारा निलम्बित की गई, स्थानीय सरपंच राजनैतिक रंजिश रखती थी जिसके कारण यह दुर्भावना आयी है । अपीलान्ट दुकान चलाने में रूची रखता है एवं 2007 से अच्छी सेवा 10 वर्ष तय तक दी है, राजनितिक रंजिश के कारण कार्यवाही की है । गलत ढंग से दुकान निलम्बित की गई एवं दुकान से सभी रजिस्टर पोस मशीन आदि भी ले गये एवं दुकान को पास के गांव आवां के परमेश्वरदयाल की दुकान के साथ अटेच कर दिया, अपीलान्ट लगातार चक्कर लगाता रहा लेकिन निलम्बन समाप्त नहीं किया गया । अपीलान्ट को दिनांक 21.3.2018 से दिनांक 4.7.2020 तक आदेश का ज्ञान नहीं हुआ आदेश की भी कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे उक्त अवधि ज्ञान के अभाव में कन्डोन की जानी चाहिये । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावें एवं अपीलान्ट का ग्राम पंचायत जालिमपुरा का उचित मूल्य दुकान का लाइसेन्स प्रभावी किया जावें एवं सिक्योरिटी राशि जब्ती का आदेश भी निरस्त किया जावें ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । पेरोकार रसद व वकील अपीलांट उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
4. वकील अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 21.3.2018 की सुनवाई के पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों की पालना नहीं की गई है नाही अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है । अपीलान्ट नियमित समय पर दुकान खोलता है सभी रजिस्टर रिकार्ड रसीद स्टॉक रजिस्टर डेली सेल रजिस्टर सभी पूर्ण रूप से संधारित किये गये थे । सभी खाद्यान्न का ओपनिंग बैलेंस रखे, कीमत दिखने वाली जगह पर प्रदर्शित की हुई थी । निरीक्षण में भी सम्पूर्ण मदद की थी एवं राज्य सरकार एवं विभाग के सभी निर्देशों की पालना की गई है । दुर्भावनावश मात्र पहले दुकान आदेश दिनांक 12.4.2017 द्वारा निलम्बित की गई, स्थानीय सरपंच राजनैतिक रंजिश रखती थी जिसके कारण यह दुर्भावना आयी है । अपीलान्ट दुकान चलाने में रूची रखता है एवं 2007 से अच्छी सेवा 10 वर्ष तय तक दी है, राजनितिक रंजिश के कारण कार्यवाही की है ।
5. पेरोकार रसद द्वारा अपने जवाब एवं बहस में कथन किया कि मुकेश रघुवंशी पूर्व उचित मूल्य दुकानदार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित सामग्री के वितरण में रूचि नहीं होने एवं अन्य विभिन्न कारणों से प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व उचित मूल्य दुकानदार को सुनवाई का अन्तिम अवसर प्रदान किया था । प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व उचित मूल्य दुकानदार को सुनवाई का अन्तिम अवसर प्रदान करने हेतु दौ अखबार में प्रकाशन भी कराया गया । अपीलार्थी का यह कहना गलत है कि बिना सुने ही लाईसेंस निरस्त कर दिया गया है । अपीलार्थी का उक्त उचित मूल्य दुकान चलाने में रूची नहीं लेने के कारण लाईसेन्स निरस्त किया गया है । अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जावें ।
6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र उचित मूल्य दुकानदार एफ0पी0एस0 2018/332 पोस

2/7/19
जिला कलेक्टर
कोटा

(A5)

कोड 6902 ग्राम जालिमपुरा ग्राम पंचायत जालिमपुरा को इस आधार पर निरस्त किया गया था कि अपीलांट द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित सामग्री के वितरण में रूचि नहीं दिखाने से व अन्य कारणों से प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है । अपीलान्ट का कहना है कि नोटिस की जानकारी मुझे नही हो सकी तथा सुनवाई का पूरा अवसर नहीं दिया एवं अब भी अपीलांट उक्त उचित मूल्य दुकान चलाने में रूची रखता है । अपीलांट द्वारा पुनः दुकान को सुचारूरूप से संचालन हेतु आतुर है तथा अपीलांट की आजीविका इसी उचित मूल्य की दुकान पर निर्भर होने से अपीलांट की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सहानूभूतिपूर्व विचार किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया जाना उचित समझते है ।

7. परिणामतः अपील अपीलांट आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी कोटा इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के उचित मूल्य दुकान संख्या 2018/332 पोस कोड 6902 पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आदेश दिये जाते है कि यदि अपीलांट राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के प्रावधानों एवं शर्तो के तहत कार्य करने हेतु पात्रता रखता हो तथा अपीलांट की निरस्त की गई उचित मूल्य दुकान अन्य किसी को आवंटन नहीं की गई हो एवं रिक्त होने की स्थिति में सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर विधि अनुरूप कार्यवाही करते हुए उचित आदेश पारित करें । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा को तलविदा रेकार्ड के साथ पालनार्थ भेजी जावें ।

8. निर्णय आज दिनांक 07.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा